न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का पीपलाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री बशीरखां पुत्र नूरमोहम्मद देशवाली निवासी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 82 / 17

निर्णय दिनांक 02 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद पीपलाद के ख.न 165 रकबा 1.70 है. भूमि किस्म बारानी में फसल बोकर की काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को उपस्थित हुए लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही किया अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 1.70 है. भूमि के 8.5 रूपये लगान का 50 गुणा 425/– अक्षरे चार सौ पच्चीस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई फसल की फसल को भू.अ.निरीक्षक परबतसर द्वारा कुर्क कर निलाम की गई जिसमें अन्तिम बोली रूपये 1140/ अक्षरे एक हजार एक सौ चालीस रूपये श्री रियाज मौहम्मद पुत्र रावतखां निवासी पीपलाद की रही जो स्वीकृत की गई जुर्माना एंव फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर

पंजिका 'ग' न. 17-18 के पृष्ठ सं. 5
पत्र प्रा० प० 425/– व 1140/रु० की
मांग दर्ज की गई है।

तहसील राजस्व लेखाकार